# न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 252/2016 निर्णय दिनांक :– 26-11-19

**उनवान**

1. सायर कंवर पत्नि रामसिंह जाति राजपूत, निवासी – ग्राम चंदलाई तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

2. रामसिंह पुत्र श्री गुमान सिंह निवासी – जाति राजपूत, निवासी ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान

–– वादीगण ––

**बनाम**

1. सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, तहसील चाकसू, जयपुर।

2. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जिला जयपुर।

–– प्रतिवादीगण ––

**वाद पत्र घोषणा, नक्शा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा अधीन धारा 88, 188 रा0 टे0 एक्ट**

वाद वादीगण की ओर से निम्न प्रकार से पेश किया गया कि वादीगण साबिक आराजी भूमि खसरा नं. 1977/1 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

22 बीघा बंजर स्थित वाके ग्रम चन्दलाई तहसील चाकसू जिला जयपुर की जिसकी खातेदारी पूर्व खातेदारान उम्मेदसिंह कानसिंह, पिता समन्दर सिंह हिस्सा के नाम हिस्सा 1/4 मानसिंह पुत्र छीतर सिंह दशरथ सिंह पुत्र इन्दर सिंह के नाम हिस्सा 1/4 भंवर सिंह, प्रभु सिंह पुत्रान कल्याण सिंह के नाम हिस्सा 1/4 बने सिंह, हरि सिंह नरपत सिंह हेम सिह मगन सिंह धन सिंह पुत्रान लादू सिंह के नाम हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रही। वर्तमान सेटलमेन्ट से पूर्व वादग्रस्त आराजी का नक्शा उत्तर व दक्षिण दिशा की लम्बाई व पूर्व दिशा पश्चिम दिशा की चोडाई में बना हुआ था। जो संलग्न नक्शे मे पीले रंग से दर्शाया गया है। वादीगण ने पूर्व खातेदारान व हम अधिकारी से वादगस्त आराजी क्रय कर वर्तमान खसरा नं. 3635 रकबा 1.05 हे0 व खसरा नम्बर 3636 रकबा 1.03 है0 पर काबिज काश्त करता हुआ तथा वर्तमान मे भी काबिज करता है। दौराने सेटलमेन्ट कार्यवाही सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार के मनमाने तरीके से वर्तमान नक्शे मे तब्दीली कर दी जो कतई विधि संभव नही है। साबिक आराजी खसरा नं. 1977/3 के खसरा नम्बरान को साबिक खसरा नं. 1977/1 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जिससे मौके पर भारी पेचेदगी उत्पन्न हो गई है। सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों से मिलान क्षेत्रफल बनाते हुये भंयकर मूल की है। खसरा नं. 1977/1 के

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

स्थान पर खसरा नं. 1977/3 का मिलान क्षेत्रफल बना दिया तथा खसरा नं. 1977/3 के वर्तमान खसरा नं. 3635, 3636 प्रंतिवादी सं. के खाते मे इन्द्राज कर दिया तथा प्रतिवादी सं. 1 ने उपरोक्त खसरा नग्बरान को प्रतिवादी सं. 2 को सर्मपित कर दिया वर्तमान मे खसरा नं. 3635, 3636 प्रतिवादी सं, 2 के नाम से राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है। वादीगण ने विक्रय पत्र तस्दीक कराये जाने एवं पुर्व खातेदारान का खसरा नं. 1977/1 के उत्तरी भाग पर कब्जा होने के कारण वादीगण ने भी उपरोक्त खसरा नं. पर कब्जा किया तथा वर्तमान मे काबिज करता है। दिनांक 26.09.2016 को प्रतिवादीगण सं, 2 के कर्मचारी वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नं. 3635 व 3636 पर आये तथा जबरन निर्माण कार्य करने के उद्देश्य से रोडी, बजरी डालने लगे। वादीगण ने मना किया तो ऐलानिया धमकी दी कि यह भूमि हमारे नाम है हम चाहे जो करे। वादीगण ने काफी निवेदन किया कि उमे बेदखल मत करो तथा निर्माण मत करो, नक्शे मे दुरूस्ती हम करा लेंगे तो प्रतिवादी सं. 2 ने धमकी दी कि हम जे.डी.ए.के कर्मचारी है। चाहे जो कर सकते है। तुम्हारा नक्शा सरकार ने बिगाडा है तुम उससे लडते रहना हम निर्माण करेंगे। वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वर्तमान नक्शे में हुई भारी भूल को दुरुस्त करावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि वह वादीगण को बेदखल नही करे तथा वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

आराजी मे किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करे । वादीगण वादग्रस्त आराजी मे रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। जिनको नक्शा दुरूस्त कराने व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का कानूनन अधिकार हासिल है दायरी दावे के जो वाद कारण दिनांक 26.09.2016 को उत्पन्न हुआ तथा वाद हाजा अस्तुत करना आवश्यक हुआ। यह–कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 राज्य सरकार के विभाग है जिनके विरूद्ध वाद बिना नोटिस दिए प्रसस्तु किये जाने व इजाजत हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी न्यायालय के समक्ष अलग पेश है। वाद बहक वादीगंण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण का नक्शा भूमि एकीकरण द्वारा बनाये गये नक्शे के अनुरूप बनाया जावे तथा मिलान क्षेत्रफल सेटलमेन्ट को दुरूस्त फरमाया जावे। प्रतिवादीगंण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह खसरा नं. 3635 व 3636 वाके ग्राम चन्दलाई से वादीगण को बेदखल नही करे तथा वादग्रस्त आराजी में कच्चा पक्का निर्माण नही करे तथा ना वादग्रस्त आराजी मे भूखण्ड का निर्माण करे। दावा वकील वादी द्वारा पेश किया जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 की तलबी की गयी तो प्रतिवादी संख्या 2 हाजीर नही आये एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दावे का जवाब दावा इस प्रकार पेश किया गया कि :–

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वादपत्र का मद संख्या 1 जिस प्रकार वर्णित है। वह ग्राम चन्दलाई के साबिक रिकार्ड से सम्बन्धित है। ग्राम की सेटलमेंट खतौनी संवत 2004 के अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बर के मूल खसरा नम्बर 1977 रकबा 47 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी वादीगणों के पूर्वजों के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक खतौनी के खातेदार समुन्द्र सिंह वल्द केसरी सिंह हिस्सा 1/4 छीतर सिंह वल्द धोकल सिंह हिस्सा 1/4 भंवर सिह, प्रभू सिंह पिता कल्याण सिंह हिस्सा 1/4 लादू सिंह वल्द गोविन्द सिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सा देह के नाम थी। तद्पश्चात 1977/1 रकबा 22 बीघा से बने हाल खसरा नम्बर 3627 रकबा 0.63 है0 5880 रकबा 4.18 है0 5956 रकबा 0.40 है0 5955 रकबा 0.35 है किता 4 रकबा 05. 56 है0 की वर्तमान में खातेदारी में वादीगणों का हिस्सा 15/24 है। वाद पत्र का मद संख्या 2 जिस प्रकार अभिलिखित है। वह ग्राम चन्द्रलाई के साबिक नक्शा से सम्बधित है। वादीगणों द्वारा वाद ग्रस्त भूमि का चकतराशि के नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत की गई है। तहसील में उपलब्ध सेटलमेंट नक्शा का निरीक्षण किया। नक्शा अपठनीय है। वादीगण सेटलमेंट विभाग से वादग्रस्त भूमि का मेटल से नक्शा प्राप्त कर न्यायालय में वास्ते साक्ष्य स्वयं पेश कर प्रमाणित करे। वाद पत्र का मद संख्या 3 जिस प्रकार वर्णित किया है। वह ग्राम चंदलाई के वादग्रस्त साबिक

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

खसरा नम्बर 1977 की तरमीम से सबंधित है। सेटलमेंट विभाग द्वारा वाद ग्रस्त खसरा नम्बर 1977/3 के खसरा नम्बर को खसरा नम्बर 1977/1 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया। वादी राजस्व रिकार्ड की नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्वयं प्रमाणित करे। वाद पत्र का मद संख्या 4 जिस प्रकार अभिलिखित है। वह साबिक रिकार्ड से संबंधित है। 1977/3 रकबा 2.08 है0 के नवीन खसरा नम्बर 3635 रकबा 1.05 है0 तथा 3636 रकबा 1.03 है0 बने है। जो वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की खातेदारी मे है। वादपत्र का मद संख्या 5 कब्जे से संबंधित है। वादी स्वयं प्रमाणित करे। वाद पत्र का मद संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तथा (क)(ख) जिस प्रकार अभिलिखित किया है। वह कानूनी है। वाद पत्र का जवाब तैयार कर श्रीमान की सेवा में प्रेषित हैं । जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो दौराने बहस वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि सेटलमेंट वालों के द्वारा गलत तरमीम किये जाने से वादी के जवाब सरकार अनुसार दुरूस्त किया जावे व दावा वादी डिक्री किया जावे ताकि वादी को कब्जे अनुसार नक्शा दुरूस्त हो सके। वादी ने दावे के समर्थन में वादग्रस्त भूमि का नक्शा ट्रेस ग्राम चन्दलाई की खतौनी संवत 2041–2044 खाता संख्या 29 मिलान क्षेत्रफल 2051–70 जमाबंदी संवत 2069–72 खाता संख्या 1007, जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

संवत 2069–72 खाता संख्या 53 के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गौर किया व दावा जवाब सरकार व प्रस्तुत दस्तावेज का परीक्षण किया गया तो वादीगण साबिक आराजी भूमि खसरा नम्बर 1977/1 रकबा 22 बीघा वाके ग्राम चन्दलाई में स्थित है जिसकी खातेदारी पूर्व खातेदारान उम्मेदसिंह कानसिंह पिता सरदारसिंह के नाम हिस्सा 1/4, मानसिंह पुत्र छीतर सिंह, दशरथ सिंह पुत्र इन्द्रसिंह के नाम 1/4 भंवर सिंह प्रभूसिंह पुत्रान कल्याण सिंह के नाम हिस्सा 1/4 बने सिंह हरिसिंह नरपतसिंह मगनसिंह धनसिंह पुत्रान लादूसिंह के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड थी जो वर्तमान सैटलमेंट से पूर्व वादग्रस्त आराजी का नक्शा उत्तर व दक्षिण दिशा की लम्बाई व पूर्व दिशा पश्चिम दिश की चौडाई में बना हुआ था जो संलग्न नक्शे में पीले रंग से दिखाया गया है, जिसको वादीगण ने पूर्व खातेदारान से वादग्रस्त आराजी कम कर वर्तमान खसरा नम्बर 3635 रकबा 1.05 हे0 व खसरा नम्बर 3636 रकबा 1.03 है0 पर काबिज काश्त करते हुये वर्तमान में भी काबिज काश्त है किन्तु दौराने सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के मनमाने तरीके से वर्तमान नक्शे में तब्दीली कर दी गयी जो गलत तब्दीली कर दी गयी, साबिक आराजी खसरा नम्बर 1977/3 के खसरा नम्बरान को साबिक खसरा नम्बर 1977/1 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

गया जो गलत कर दिया गया, इसी प्रकार सैटेलमेंट विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल बनाते समय खसरा नम्बर 1977/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 1977/3 का मिलान क्षेत्रफल तथा खसरा नम्बर 1977/3 के वर्तमान खसरा नम्बर 3635, 3636 प्रतिवादी संख्या 2 के खाते में दर्ज कर दिया व प्रतिवादी संख्या 1 ने उपरोक्त खसरा नम्बरान को प्रतिवादी संख्या 2 समर्पित कर दिया जो वर्तमान खसरा नम्बरान 3635, 3636 प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज जिसे जवाब सरकार व प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार दावा स्वीकार किया जाना उचित समझते है। क्योंकि दुरूस्ती किये जाने ने न तो राजहित प्रभावित होता है न ही किसी पक्षकार का हित प्रभावित होता है। दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण का नक्शा भूमि एकीकरण द्वारा बनाये गये नक्शे के अनुरूप बनाया जावे व खसरा नम्बर 3635 रकबा 1.05 है0 3636 रकबा 1.03 है0 जो कि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है उसमें से खसरा नम्बर 3635 में मौके पर जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की बनी हुई टंकी रकाब 0.09 है0 कम करते हुये खसरा नम्बर 3635 में से रकबा 0.96 है0 व खसरा नम्बर 3636 रकबा 1.03 है0 किता 2 रकबा 1.99 है0 क वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 5956 रकबा 0.40 है0 खसरा नम्बर 5955 रकबा 0.35 है0 तथा खसरा

खण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

नम्बर 5880 में से रकबा 1.24 है0 भूमि जो कि पीले रंग से नक्शे में दर्शायी गयी है भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बादी तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू





Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2019.12.03 16:40:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: